"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, बुधवार दिनांक 13 फरवरी 2013—माघ 24, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक एफ-33/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/130.—दिनांक 12 फरवरी 2013 को नगरपालिका परिषद् दीपका, जिला-कोरबा, छ.ग. के 5 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-33/राभिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. तनवीर अहमद, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगरपालिका परिषद् दीपका, जिला कोरबा, छ.ग.
2. मनोज शर्मा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगरपालिका परिषद् दीपका, जिला कोरबा, छ.ग.
3. मीरा सिंह, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगरपालिका परिषद् दीपका, जिला कोरबा, छ.ग.
4. यूप नारायण जायसवाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगरपालिका परिषद् दीपका, जिला कोरबा, छ.ग.
5. राजकुमार, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगरपालिका परिषद् दीपका, जिला कोरबा, छ.ग.

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 12 फरवरी 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कोरबा (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 5 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् दीपका के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 5 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद् दीपका के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों तनवीर अहमद, मनोज शर्मा, मीरा सिंह, यूप नारायण जायसवाल एवं राजकुमार द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों तनवीर अहमद, मनोज शर्मा, मीरा सिंह, यूप नारायण जायसवाल एवं राजकुमार को दिनांक 26 फरवरी 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अभिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी तनवीर अहमद को दिनांक 24 मार्च 2010 को, मनोज शर्मा, मीरा सिंह तथा यूपनारायण यादव को 23 मार्च 2010 को एवं राजकुमार को दिनांक 16 मार्च 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई.

3. अभ्यर्थी तनवीर अहमद ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया है. उनके द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया गया है. अतः उनके विरुद्ध आयोग द्वारा की गई कार्यवाही को शिथिल किया जाये. उक्त जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि तनवीर अहमद द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 5 फरवरी 2010 को प्रस्तुत कर दिया गया है. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31 जुलाई 2012 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी विधिवत् सूचना तामील होने के उपरान्त भी नियत दिनांक को अनुपस्थित रहा. अतः यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी मीरा सिंह ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया है. उनके द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया गया है. अतः उनके विरुद्ध आयोग द्वारा की गई कार्यवाही को शिथिल किया जाये. उक्त जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी

का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि मीरा सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 28 जनवरी 2010 को प्रस्तुत कर दिया गया है. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31 जुलाई 2012 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी विधिवत् सूचना तामील होने के उपरान्त भी नियत दिनांक को अनुपस्थित रही. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

5. अभ्यर्थी यूप नारायण जायसवाल ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया है. उनके द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया गया है. अत: उनके विरुद्ध आयोग द्वारा की गई कार्यवाही को शिथिल किया जाये. उक्त जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत दिनांक 5 मार्च 2010 में उल्लेख किया है कि यूपनारायण जायसवाल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 15 जनवरी 2010 को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर दिया गया है. निर्वाचन अधिकारी ने यह भी अभिमत दिया कि इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य है जबकि निर्वाचन अधिकारी के ही प्रतिवेदन दिनांक 6 सितम्बर 2012 के अनुसार अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ सार विवरण अपूर्ण संलग्न किया है. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31 जुलाई 2012 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी विधिवत् सूचना तामील होने के उपरान्त भी नियत दिनांक को अनुपस्थित रहा. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है. उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

6. अभ्यर्थी राजकुमार ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 6 जनवरी 2010 को रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया है. उनके द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया गया है. अत: उनके विरुद्ध आयोग द्वारा की गई कार्यवाही को शिथिल किया जाये. उक्त जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि राजकुमार द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 6 जनवरी 2010 को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर दिया गया है; परन्तु सार विवरण शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित नहीं है तथापि इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य है. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 6 नवम्बर 2012 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी विधिवत् सूचना तामील होने के उपरान्त भी नियत दिनांक को अनुपस्थित रहा. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

7. अभ्यर्थी मनोज शर्मा ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 8 जनवरी 2010 को रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया है. उनके द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया गया है. अत: उनके विरुद्ध आयोग द्वारा की गई कार्यवाही को शिथिल किया जाये. उक्त जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अंभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि मनोज शर्मा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नियमानुसार निर्धारित पंजी में दिनांक 8 जनवरी 2010 को प्रस्तुत कर दिया गया है तथा अभ्यर्थी का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य है. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31 जुलाई 2012 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी नियत तिथि को उपस्थित होकर अपने जवाब के समर्थन में कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनके संबंध में निर्वाचन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई. निर्वाचन अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी मनोज शर्मा ने निर्वाचन व्यय लेखा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में विहित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनका जवाब स्वीकार योग्य है.

8. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों तनवीर अहमद, मनोज शर्मा, मीरा सिंह, यूप नारायण जायसवाल एवं राजकुमार ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है जो अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

9. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थियों के जवाब तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों के परिशीलन से यह विदित होता है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये प्रतिवेदनों में भिन्नताएं हैं. फिर भी उनके द्वारा भेजे गये पश्चात्वर्ती प्रतिवेदन को स्वीकार करना विद्यमान परिस्थिति में न्यायोचित प्रतीत होता है. निर्वाचन अधिकारी के पश्चात्वर्ती प्रतिवेदन के अनुसार अभ्यर्थी मनोज शर्मा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल किया गया है. अत: अभ्यर्थी मनोज शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त किया जाना न्यायोचित होगा. अभ्यर्थी तनवीर अहमद अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विहित प्रारूप में 5 फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया है जो कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के उपरान्त की है. अभ्यर्थी के द्वारा विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है. अत: उनकी दलील कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में काई विलंब नहीं किया गया है स्वीकार योग्य नहीं है. अभ्यर्थी मीरा सिंह ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा 28 जनवरी 2010 को रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. जबकि उन्हें निर्वाचन व्यय लेखा नियत तारीख 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था. अत: उनकी दलील कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है. उनके द्वारा विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने का कोई कारण भी नहीं दर्शाया गया है. अभ्यर्थी यूप नारायण जायसवाल ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा 15 जनवरी 2010 को रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया है. निर्वाचन अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 6 सितम्बर 2012 में उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री यूप नारायण जायसवाल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के साथ अपूर्ण सार विवरण संलग्न किया गया है. अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा नहीं माना जा सकता. तदनुसार यूप नारायण जायसवाल की दलील कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया गया, स्वीकार योग्य नहीं है. अभ्यर्थी राजकुमार ने यद्यपि दिनांक 6 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया है लेकिन उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के साथ शपथ पत्र एवं सार विवरण प्रस्तुत नहीं किया है. अत: उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा को अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता. फलस्वरूप अभ्यर्थी राजकुमार की दलील कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है. उपर्युक्त कंडिकाओं में की गई विवेचना से आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी मनोज शर्मा की दलील स्वीकार योग्य है एवं अभ्यर्थियों तनवीर अहमद, मीरा सिंह, यूप नारायण जायसवाल एवं राजकुमार अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तद्नुसार अभ्यर्थी मनोज शर्मा के विरुद्ध मामला समाप्त किया जाता है एवं अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थियों तनवीर अहमद, मीरा सिंह, यूप नारायण जायसवाल एवं राजकुमार को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन साल एवं छ: माह की कालावधि के लिये नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष या पार्षद होने क लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

10. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 12 फरवरी 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2013.